भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन स ाक्तिकरण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या –396
उत्तर देने की तारीखः 04.02.2020

भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा

396. श्री सुनील कुमार पिन्टूः

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में, विशेषकर बिहार में भिन्न रूप से सक्षम व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कोई ठोस नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री
(श्री कृष्णपाल गुर्जर)

(क) से (ग): जी हां।

केंद्रीय सरकार ने ''दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016'' अधिनियमित किया है, जो दिनांक 19.04.2017 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम बिहार समेत पूरे देश में लागू है। उक्त अधिनियम में उपयुक्त सरकार को शिक्षा, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और मनोरंजन को बढ़ावा देने के उपाय करने का अधिदेश प्रदान किया गया है। अधिनियम में उच्चतर अध्ययन में 5 प्रति ात आरक्षण का प्रावधान है। आर्थिक स ाक्तिकरण के लिए रोजगार जरुरी होने के कारण, उक्त अधिनियम में बेंचमार्क दिव्यांगजनों (40 प्रति ात अथवा अधिक दिव्यांगता) के लिए सरकारी रिक्तियों में न्यूनतम 4 प्रति ात आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविश्टि 9 के आधार पर दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करना राज्य का विषय है। तथापि केंद्रीय सरकार दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से बिहार सहित राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं को लागू रहा हैः

(i) सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप): इस योजना के तहत, जरूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को ऐसे टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद के लिए निधियां जारी की जाती हैं जो उनकी दिव्यांगताओं के प्रभाव को कम करके उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दे सके तथा बिहार समेत पूरे देश में उनकी आर्थिक क्षमता में अभिवृद्धि कर सके।

(ii) **दिव्यांगजनों का कौशल विकास** : विभाग ने मार्च, 2015 दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) शुरू की, जिसे बिहार समेत पूरे देश में लागू किया गया है, जिससे उनकी सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी) के तहत, पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों (ईटीपी), जिनमें सरकारी संगठन और गैर–सरकारी संगठन (एनजीओ) शामिल हैं, के नेटवर्क के माध्यम से दिव्यांगजनों के कौशल प्र ाक्षण का संचालन किया जाता है। साथ ही, यह योजना दिव्यांग प्रशिक्षुओं की आव यकताओं को पूरा करती है, तथा उन्हें कौशल प्र ाक्षण देकर सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करके और रोजगार क्षेत्र में उनके लाभप्रद रोजगार को बढ़ावा देकर उन्हें आत्मनिर्भर होने में सक्षम बनाने का प्रयास करती है ।

(iii) **दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)** :

इस योजना के माध्यम से, दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ)/ स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य उन्हें उनके इश्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रकार्य स्तर तक पहुँचने और उसे बनाए रखने में सक्षम बनाना है।

(iv) **दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियां** :

यह विभाग बिहार समेत देश भर में दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित घटकों के साथ एक अन्य केंद्रीय क्षेत्रक समग्र योजना "दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजना" लागू कर रहा है :

1. दिव्यांग छात्रों (एसडब्ल्यूडी) के लिए प्री–मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X के लिए)।
2. दिव्यांग छात्रों के लिए पोस्ट–मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा XI से स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए)।
3. दिव्यांग छात्रों के लिए उच्च श्रेणी ि ाक्षा छात्रवृत्ति (ि ाक्षा में उत्कृश्टता के अधिसूचित संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा के लिए)।
4. राश्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (विदे ाी वि वविद्यालयों में स्नातकोत्तर डिग्री /पी–एच0डी0 के लिए)।
5. दिव्यांगजनों के लिए राश्ट्रीय फैलोि ाप (भारतीय वि वविद्यालयों में एम0फिल0/पी–एच0डी0 के लिए)।
6. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए निः ाुल्क कोचिंग (समूह क और ख पदों में भर्ती परीक्षा और तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवे ा परीक्षाओं के लिए)।

(v) **सुगम्य भारत अभियान (एआईसी)** :–

सर्वसुलभ सुगम्यता प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में दिनांक 03.12.2015 को सुगम्य भारत अभियान (एआईसी) शुरू किया गया। इस अभियान में दिव्यांगजनों के लाभ के लिए निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना और संचार पारिस्थितिकी तंत्र (इकोसिस्टम) की सुगम्यता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

*****